न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 98/2024 निर्णय दिनांक 28.01.2025
जीसीएमएस नम्बर 2024/210
नरेन्द्र सिंह पुत्र हुकम सिंह जाति राजपूत निवारी नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
—वादी—

बनाम

तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
—प्रतिवादी—

उपस्थितिः—
1. श्री बाबूलाल सारस्वत अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

दावा अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व धारा 136एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी के खेत खाता संख्या 466 खसरा नम्बर 1 तादादी 15.6400 हैक्टेयर बारानी व खाता संख्या 175 खसरा नम्बर 446 तादादी 15.3600 हैक्टेयर (बारानी 15.2800 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता 0.0800 हैक्टेयर) वाकेरोही ग्राम नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। उक्त संयुक्त खातेदारी खेतो में वादी का 2/11 हिस्सा है व खाता संख्या 176 खसरा नम्बर 19 तादादी 4.7700 हैक्टेयर बारानी व खसरा नम्बर 380 तादादी 4.3000 हैक्टेयर (बारानी 4.1600 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.1400 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 384 तादादी 0.5500 हैक्टेयर (बारानी 0.5000 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.0500 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 509/184 तादादी 14.2900 हैक्टेयर (बारानी 14.0400 हैक्टेयर व गै. रास्ता 0.2500 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 67 तादादी 0.3900 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा कुल खसरा 5 कुल तादादी 24.3000 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम नारसीसर तहसील श्रीडुंगरगढ़ में स्थित है। उक्त संयुक्त खातेदारी खेतो में वादी का 2/33 हिस्सा है। वादगत खेतो में अपने हिस्से पांति की कृषि भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी का नाम नरेन्द्र सिंह है वादी के पारिवारिक राशन कार्ड में, मतदाता पहचान पत्र में, आधार कार्ड में, पेन कार्ड में, जन आधार कार्ड में, ई— श्रम कार्ड में, बैंक पासबुक में व अन्य सरकारी दस्तावेजो में वादी का नाम नरेन्द्र सिंह दर्ज चला आ रहा है वादी को गांव में व समाज में नरेन्द्र सिंह के नाम से ही जाना व पहचाना जाता है लेकिन वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम हरनामसिंह दर्ज चला आ रहा है। जो गलत दर्ज चला आ रहा हैं । वादगत खेतो में विरासतन इंतकाल दर्ज करते समय भुलवंश वादी का नाम हरनामसिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया गया वादी का सरकारी दस्तावेजों में नरेन्द्र सिंह नाम दर्ज चला आ रहा है लेकिन केवल वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम हरनामसिंह दर्ज चला आ रहा है जो गलत दर्ज चला आ रहा है वादी का सही नाम नरेन्द्र सिंह है। वादी वादगत खेतों पर कृषि ऋण लेना चाहता है जिसके लिये वादी ने ऋण लेने के लिये बैंक से माह अप्रैल 2024 में सम्पर्क किया तो बैंक द्वारा वादी को कहा गया कि आपके खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में आपके पहचान सम्बंधित दस्तावेजो के अनुसार नहीं है इसलिये आपका कृषि ऋण का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा पहले आप आपके खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम आपके पहचान सम्बंधी दस्तावेजों के अनुसार सही करके लाए तभी हम आपको कृषि ऋण दे सकते है । व वादी वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम दर्ज होने के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी भी योजना का लाभ प्राप्त नही कर सकता है। वादी ने दिनांक 05.05.2024 को वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नरेन्द्र सिंह दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करने के लिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ से निवेदन किया लेकिन तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने कहा कि आप सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर आओ तभी हम आपके

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:14 IST
Reason: SelfAttested

खेतो के राजस्व रिकॉर्ड मे आपका सही नाम नरेन्द्र सिंह दर्ज कर सकते हैं अन्यथा नही यही दावे का हेतू हैं दावे का आधार वादी का वादगत खेतो पर कब्जा काश्त व वादी वादगत खेतो में खातेदार होने से प्राप्त हैं। वादी का सही नाम नरेन्द्र सिंह हैं वादगत खेतो में वादी का सही नाम दर्ज करवाने के लिए वादी के पास दावा पेश करने के अलावा कोई चारा नही हैं व वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का सही नाम नरेन्द्र सिंह दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाना आवश्यक हैं वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड का संधारण तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा किया जाता हैं इसलिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को पक्षकार बनाया गया हैं वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करने का कार्य तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ द्वारा ही किया जाना हैं। वादी को अपने वादगत खेतो में कृषि ऋण तुरन्त लेना हैं तुरन्त कृषि ऋण नही मिलने से वादी को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा हैं वादी अपने कृषि भूमि का समुचित उपयोग नही कर पा रहा हैं इसलिये दावा तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हैं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के विरूद्ध दावा पेश करने के लिये धारा 80 सी पी सी का नोटिस दिया जाना आवश्यक हैं नोटिस मे समय लगेगा जिससे वादी को भारी आर्थिक नुकसान होगा इसलिये दावा तुरन्त पेश किया जाना आवश्यक हैं तथा वादगत खेतो में वादी के नाम में संशोधन होने से प्रतिवादी के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव नही पडेगा फिर भी कानूनी प्रावधानो के मध्यनजर रखते हुये धारा 80 सी पी सी के तहत छूट का प्रार्थना पत्र दावा के साथ में प्रस्तुत है । ऐसी स्थिति मे धारा 80 सी पी सी के नोटिस के अभाव में दावा पेश करने के लिये धारा 80 (2) सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश कर दावा प्रस्तुत करने कि अनुमति प्राप्त कर ली गयी हैं। वादगत खेत रोही नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ मे स्थित है इसलिये यह दावा श्रीमानजी के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का हैं जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश हैं। अतः दावा पेश कर निवेदन किया गया हैं कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे–

(क) यह घोषित किया जावे कि वादी का नाम नरेन्द्र सिंह हैं तदनुसार वादगत खेत खाता संख्या 466 खसरा नम्बर 1 तादादी 15.6400 हैक्टेयर वारानी व खाता संख्या 175 खसरा नम्बर 446 तादादी 15.3600 हैक्टेयर (वारानी 15.2800 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता 0.0800 हैक्टेयर) वाकेरोही ग्राम नारसीसर तहसील श्रीडुंगरगढ़ व खाता संख्या 176 खसरा नम्बर 19 तादादी 4.7700 हैक्टेयर वारानी व खसरा नम्बर 380 तादादी 4.3000 हैक्टेयर (बारानी 4.1600 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.1400 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 384 तादादी 0.5500 हैक्टेयर (वारानी 0.5000 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.0500 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 509/184 तादादी 14.2900 हैक्टेयर (बारानी 14.0400 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.2500 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 67 तादादी 0.3900 हैक्टेयर गै. मु. बाड़ा कुल खसरा 5 कुल तादादी 24.3000 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नरेन्द्र सिंह दर्ज किया जावे।

(ख) यह कि वादगत खेतो के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम नरेन्द्र सिंह दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

(ग) यह कि खर्चा दावा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(घ)यह कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की और से पैरोकारराज ने जवाब दावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहायत कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी पेश कर दस्तावेज प्रर्दश करवायें गये। जिरह प्रतिवादी शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

खेत खाता संख्या 466 खसरा नम्बर 1 तादादी 15.6400 हैक्टेयर वारानी व खाता संख्या 175 खसरा नम्बर 446 तादादी 15.3600 हैक्टेयर (वारानी 15.2800 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता 0.0800 हैक्टेयर) वाकेरोही ग्राम नारसीसर तहसील श्रीडुंगरगढ़ व खाता संख्या 176 खसरा नम्बर 19 तादादी 4.7700 हैक्टेयर वारानी व खसरा नम्बर 380 तादादी 4.3000 हैक्टेयर (बारानी 4.1600 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.1400 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 384 तादादी 0.5500 हैक्टेयर (वारानी 0.5000 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.0500 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 509/184 तादादी 14.2900 हैक्टेयर (बारानी 14.0400 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.2500 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 67 तादादी 0.3900 हैक्टेयर गै. मु. बाड़ा कुल खसरा 5 कुल तादादी 24.3000 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का अशुद्ध नाम हरनाम सिंह के स्थान पर शुद्ध नाम नरेन्द्र सिंह घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। तहसलीदार श्रीडूंगरगढ़ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:14 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

नरेन्द्र सिंह पुत्र हुकम सिंह जाति राजपूत निवासी नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

बनाम

तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 98/2014

दावा बाबतः घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः 28.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री बाबूलाल सारस्वत अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खाता संख्या 466 खसरा नम्बर 1 तादादी 15.6400 हैक्टेयर वारानी व खाता संख्या 175 खसरा नम्बर 446 तादादी 15.3600 हैक्टेयर (वारानी 15.2800 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता 0.0800 हैक्टेयर) वाकेरोही ग्राम नारसीसर तहसील श्रीडुंगरगढ़ व खाता संख्या 176 खसरा नम्बर 19 तादादी 4.7700 हैक्टेयर वारानी व खसरा नम्बर 380 तादादी 4.3000 हैक्टेयर (बारानी 4.1600 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.1400 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 384 तादादी 0.5500 हैक्टेयर (वारानी 0.5000 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.0500 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 509/184 तादादी 14.2900 हैक्टेयर (बारानी 14.0400 हैक्टेयर व गै. मु. रास्ता 0.2500 हैक्टेयर) व खसरा नम्बर 67 तादादी 0.3900 हैक्टेयर गै. मु. बाड़ा कुल खसरा 5 कुल तादादी 24.3000 हैक्टेयर वाकेरोही ग्राम नारसीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का अशुद्ध नाम हरनाम सिंह के स्थान पर शुद्ध नाम नरेन्द्र सिंह घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी। तहसलीदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 28 माह 01 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:14 IST
Reason: SelfAttested

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 10:41:14 IST
Reason: SelfAttested